

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1774

दिनांक 18/07/17

प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 324/2015 अनवान हनुमान वगैरा बनाम तुलछा वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।



सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन  
सहायक  
चौहटन

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 324/2015

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान वादीगण :-

1.हड्डुमान 2.खीया 3.पोकर 4.गोगा पि सोना 5.हेमी पत्नि सोना  
जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा।

**बनाम**

प्रतिवादीगण:-

1.तुलछा पुत्र गिरधारी 2.ठाकरा 3.देदाराम पि. नवला  
जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा।  
4.तहसीलदार सेड़वा।

**अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.**

**निर्णय**

दिनांक :- 15.07.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जो पत्रावली शामिल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को सुना गया। उभयपक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। चूंकि विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति से तैयार कर बनाया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। न्यायहित में तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम केकड़, तहसील सेड़वा में खसरा नं. 1081/596 रकबा 45.15 बीघा, खसरा सं. 599 रकबा 30.07 बीघा, खसरा सं. 601 रकबा 28.15 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

  
सहायक कलक्टर  
चौहटन

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	तुलछा वल्द गिरधारी, कौम जाट, सा. देह खातेदार। रहन एसबीबीजे सेड़वा में।	केकड़	599	06.04	बा.सो.	0.31	हरा
			601	28.15	बा.सो.	1.44	
		योग	2	34.19	बा.सो.	1.75	हरा
2	हड्डुमान, खींयाराम, पोकरराम, गोगाराम पि. सोनाराम, हेमी पत्नि सोनाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	केकड़	599	12.02	बा.सो.	0.61	पीला
			1081 / 596	22.17	बा.सो.	1.14	
		योग	2	34.19	बा.सो.	1.75	पीला
3	ठाकराराम, देदाराम पि. नवलाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार। रहन एसबीबीजे बामड़ला में।	केकड़	599	12.01	बा.सो.	0.60	नीला
			1081 / 596	22.18	बा.सो.	1.15	
		योग	2	34.19	बा.सो.	1.75	नीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथराम)  
सहायक कलक्टर एवं  
सुपरग्रण्ड अधिकारी चौहटन



**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 324/2015

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान वादीगण :-

1.हड्डुमान 2.खीया 3.पोकर 4.गोगा पि सोना 5.हेमी पत्नि सोना  
जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा।

**बनाम**

प्रतिवादीगण:-

1.तुलछा पुत्र गिरधारी 2.ठाकरा 3.देदाराम पि. नवला  
जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा।  
4.तहसीलदार सेड़वा।

**अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.**

**निर्णय**

दिनांक :- 15.07.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जो पत्रावली शामिल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को सुना गया। उभयपक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। चूंकि विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति से तैयार कर बनाया गया है। अतः वादीगण का बीदा स्वीकार किया जाता है। न्यायहित में तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम केकड़, तहसील सेड़वा में खसरा नं. 1081/596 रकबा 45.15 बीघा, खसरा सं. 599 रकबा 30.07 बीघा, खसरा सं. 601 रकबा 28.15 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

  
सहायक कलक्टर  
चौहटन

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	तुलछा वल्द गिरधारी, कौम जाट, सा. देह खातेदार। रहन एसबीबीजे सेड़वा में।	केकड़	599	06.04	बा.सो.	0.31	हरा
			601	28.15	बा.सो.	1.44	
		योग	2	34.19	बा.सो.	1.75	हरा
2	हड्डमान, खींयाराम, पोकरराम, गोगाराम पि. सोनाराम, हेमी पत्नि सोनाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	केकड़	599	12.02	बा.सो.	0.61	पीला
			1081/596	22.17	बा.सो.	1.14	
		योग	2	34.19	बा.सो.	1.75	पीला
3	ठाकराराम, देदाराम पि. नवलाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार। रहन एसबीबीजे बामड़ला में।	केकड़	599	12.01	बा.सो.	0.60	नीला
			1081/596	22.18	बा.सो.	1.15	
		योग	2	34.19	बा.सो.	1.75	नीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.17 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।



(भाभीस्थराम)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मौका - फर्द




(1)

आज दिनांक 06/07/2017 को माननीय न्यायालय स  
 कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहान के राजस्व आवेदन सं  
 324/15 अनवान हनुमान सो सौना वजोरह बनाम तुलधा सो  
 गिरधारी वजोरह अन्तर्गि धारा 88, 53, 188 RT Act को  
 कैम. केकड दिनांक 30/06/2017 में पेश राजीनामा पुपत्र के  
 अनुसार ग्राम केकड के खैर ख. न. 1081/596 रकबा 45-15 बीघ  
 ख. न. 599 रकबा 30-07 बीघा ख. न. 601 रकबा 28-15 कुल  
 104-17 बीघा भूमि का विभाजन पुस्वाव तैयार करने हमराह  
 हल्का पटवारी केकड व प्राथी / विपार्थीगो के मौके पर पहुंचा /  
 मौके पर आपसी सहमति व राजीनामा के अनुसार निम्न प्रकार  
 से विभाजन पुस्वाव तैयार किया गया /

वर्तमान में जमाबन्दी अनुसार खाने का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम	खाने का नाम मय कौम	खाना सं.	ख. न.	रकबा	कि.मि.	लगाव
1	केकड	तुलधा वल्द गिरधारी हनुमान खीयां चौकर गौगा पि. सौना हैमी पत्नि सौना ठाकराराम देदा।म पि. नवला कौम जाट सा. डेह खानेडाए रहन:- तुलधा ठाकराराम देदा।म का हि. SBBJ शाखा बामडला में रहन	28	1081/596	45-15	बा.सो.	2.29
			66	599	30-07	बा.सो.	1.52
				601	28-15	"	1.44
			3	104-17	बा.सो.		5.25


विभाजन पुस्वाव जो मौके पर जाकर तैयार किया गया, उसका विवरण अग्रिम पृष्ठ पर अंकित है








  
 अ. देदा।म  
 नवला।म  
 अ. ठाकराराम  
 नवला जाट  
 अ. हैमी पत्नि  
 सोना

क्रम सं.	नाम ग्राम	नाम खालेडा [ मय कौम	ख.न.	रकबा	कि.से	ला.से	व.से	वर्ण
1	कैकड	तुलधा वल्द गिरधारी कौम जाट	599	6-04	बा.से	0.31		हरा
		सा. देह खालेडा [	601	28-15	-11-	1.44		
		रहन :- SBBJ शाखा सैड़वा में	2	34-19	बा.से	1.75		
2	कैकड	हुडुमान खीयाराम पौकरराम गोगायाम	599	12-02	बा.से	0.61		पीला
		पि. सोनाएम हेमी पत्नी सोनाएम कौम जाट सा. देह खालेडा [	1081 / 596	22-17	बा.से	1.14		
			2	34-19	बा.से	1.75		
3	कैकड	ठाकराराम देदाएम पि. नवलाराम कौम जाट सा. देह खालेडा [	599	12-05	बा.से	0.60		नीला
		रहन :- SBBJ शाखा बामड़ला में	1081 / 596	22-18	-11-	1.15		
			2	34-19	बा.से	1.75		

उक्त विभाजन का प्रस्ताव मौके पर जाकर कल्या / काशन के अनुसार तैयार किया गया तथा वही एवं परिवारी पक्ष के लोगो द्वारा सहमति से स्वीकार किया गया।

उक्त मौका फई को दो बार पढ़कर सुनाया गया तथा सहमति से अंग्रहा / हस्ताक्षर कवालिं गए।

  
 06/07/2017  
 परवारी कैकड

 अ. दाबला / नवलाराम  
 अ. तुलधा / गिरधारी जाट  
 अ. हेमी / सोना जाट  
 अ. देदाएम / नवलाराम

कल्याण  
 सहायक कलक्टर  
 10/07/2017

नवलाराम  
 पौकर  
 गोगायाम


आंशिक नक्का विवरण

मोजा - केकड

रुहली - सेडका


जेमाना - १॥ = रोजका


2  
5



प्रमाणित पुस्तिका  
राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क  
जायी  
६१  
०६/०७/२०१७  
पत्राची केकड

- संकेत
- तुलका १० गिरधारी जाट
  - हनुमान खीया चौक जोगा पि. सोना
  - हेमी १० सोना जाट
  - टाकलाम डेडलाम पि. नवला जाट

  
०६/०७/२०१७  
११/०७/२०१७  
६१  
०६/०७/२०१७  
पत्राची केकड

  
अ. डेडलाम  
नवला

रामावराम

  
अ. टाकलाम  
नवला

  
अ. हेमी १०  
सोना

विद्याराम गोगाराम

  
अ. तुलका  
गिरधारी

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बीहम